



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-मिनिरल कम्पनी)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Undertaking- Ministry of Agriculture)

CIN: U74899DL1963G-01003913

केन्द्रीय राज्य फार्म / Central State Farm

10 किमी० सिरसा रोड, हिसार / 10 KM. Sirsa Road Hisar-125001

मुख्यालय: बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली-12 / BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX, NEW DELHI-12



No-CSF /6-77 /कृषि /2025-26/

Dated- 09.01.2026

ई-निविदा सूचना

केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार में विधायन, पैकिंग व पल्लेदारी कार्य, व खलिहानों पर उत्पादन सफाई के कार्यों के लिए ई-निविदाएँ दिनांक 27-01-2026 दोपहर 2.30 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं। इच्छुक निविदादाता जो कार्य लेना चाहते हैं कार्यों की दरे आनलाइन, दो बिड प्रणाली (तकनीकी एवं वित्तीय) के माध्यम से भेजें। विस्तृत विवरण हमारी वेबसाइट www.indiaseeds.com से भी देखा जा सकता है। निविदादाता सिर्फ ई-पोर्टल <http://indiaseeds.enivida.com/> के माध्यम से अपनी निविदा प्रेषित करें। इस सम्बन्ध में यदि कोई भूल सुधार ज्ञापन होगा तो केवल वेबसाइट पर ही डाला जायेगा।

प्रबंधक (उत्पादन)



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम-मिनिरास कम्पनी)
NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Undertaking- Minirama Co.)

CIN: U74899DL1963G-OI003913



केन्द्रीय राज्य फार्म / Central State Farm

10 किमी0 सिरसा रोड, हिसार / 10 KM. Sirsa Road Hisar-125001

मुख्यालय: बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली-12 / BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX, NEW DELHI-12

No-CSF /6-77 /कृषि /2025-26/

Dated- 09.01.2026

NOTICE INVITING E-TENDER

E-tenders under Two Bid System are invited for awarding Processing packing and palledari works contract of Central State Farm, Hisar situated at 10 km Sirsa Road, Hisar for year starting from 01.04.2026. Details of eligibility criteria, tender schedule and other Terms and Conditions can be viewed and downloaded from <http://indiaseeds.enivida.com> & www.indiaseeds.com

Particulars	Details
Date of issue of NIT	09-01-2026
Start date & time for submission of online bid	09-01-2026 9.30 A.M. 27.01.2026 2.30 P.M.
End date & time for submission of online bid	
Date and time of opening of Technical bid & Tender	After 27.01.2026 2.30 P.M.
Tender fee(to be deposited through Online RTGS/NEFT)	590 (inclusive of all taxes)
EMD(to be deposited through online RTGS/NEFT)	Rs. 3,00,000/-
Address for communication	Farm Head, Central State Farm, National Seeds Corporation Ltdl.,10 th K.M. Sirsa Road, Hisar
Contract Person with phone No. & E. mail	Akshat Yadav, Manager (Production) 9996037296 , e-mail ID csf.hisar@indiaseeds.com



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-मिनिरत्न कम्पनी)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Undertaking- Miniratra Co.)

CIN: U74899DL1963G-01003913

केन्द्रीय राज्य फार्म / Central State Farm

10 किमी० सिरसा रोड, हिसार / 10 KM. Sirsa Road Hisar-125001

मुख्यालय: बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली-12 / BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX, NEW DELHI-12



No-CSF /6-77 /कृषि /2025-26/

Dated- 09.01.2026

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

SECTION-1

INSTRUCTIONS TO BIDDER – ONLINE MODE

1. Bidders/Vendors/Suppliers/Contractors must get themselves registered on the portal for participating in the e-tenders published on <https://indiaseeds.enivida.com> by paying the charges of Rs. 2360/- (Inclusive taxes) per year.
2. Bidders must provide the details of PAN number; registration details etc as applicable and submit the related documents. The user id will be activated only after submission of complete details. The activation process will take minimum 24 working hour's enividahelpdesk@gmail.com
3. Bidders must have a valid email id and mobile number.
4. Bidders are required to obtain Class 3 Digital Certificates (Signing & Encryption) as per their company details.
5. Once bidder DSC is mapped with the user id, the same DSC must not be used for another user id on the same portal. However bidder can update the digital certificate to another user id after unmapping it from the exiting user id.
6. Bidders now can login with the activated user Id & DSC for online tender submission process in this portal.
7. Bidders can upload required documents for the tender well in advance under My Documents and these documents can be attached to the tender during tender participation as per the tender requirements. This will save the bid submission duration/time period and reduce upload time of bid documents.
8. Bidders must go through the downloaded tender documents and prepare and upload bid documents as per the requirements of the department.
9. Once the bidders have selected the tenders they are interested in, Bidders will pay the processing fee Rs 550/- per tender (NOT REFUNDABLE) by net-banking / Debit / Credit card then Bidder may download the Bid documents etc. Once Bidders will pay both fee tenders status will be shown "form received". This would enable the e- tender Portal to intimate the bidders through e-mail in case there is any corrigendum issued to the tender document.
10. Bidders are advised to read complete BoQ/SoQ/Price Bid/Financial Bid and Terms & Conditions before quoting rates in the bid document.

11. Any modification/replacement in BoQ/SoQ/Price Bid/Financial bid template is not allowed. Bidders must quote only in predefined fields in the bid sheet and save the bid sheet. After saving, the same bid sheet must be uploaded in the portal.
12. Bidders must pay required payments (Tender fee, EMD, Tender Processing Fee etc.) as mentioned in the tender document, before submitting the bid.
13. Bidders are recommended to use PDF files for uploading the documents. Only price bid sheet will be in Excel format.
14. The bidders must ensure to get themselves registered on the portal at least 1 week before the tender submission date and get trained on the online tender submission process. For tender submission and registration process bidders are advised to refer respective manuals on website. Tender inviting Authority/Department will not be held responsible for any sort of delay or the difficulties faced during the submission of bids online by the bidders due to local issues like internet connectivity/PC speed/etc...
15. Offline Submission of bids/documents/rates by the bidders will not be accepted by the department, under any circumstance.
16. After final submission of the bid, a confirmation message and bid submission acknowledgement will be generated by the portal. The bid submission acknowledgement contains details of all documents submitted along with bid summary, token number, date & time of submission of the bid and other relevant details. Bidder can keep print of the bid submission acknowledgement.
17. If bidder is resubmitting the bid, bidder must confirm existence of all the required documents, financial bid and again submit the bid. Once submitted, the bid will be updated.
18. Submission of the bid means that the bid is saved online; but system does not confirm correctness of the bid. Correctness of the bid will be decided by tender inviting authority only.
19. The time displayed in the server is IST (GMT 5:30) and same will be considered for all the tendering activities. Bidders must consider the server time for submission of bids.
20. Bid documents being entered by the Bidders/Vendors/Contractors will be encrypted at the client end and the software uses PKI encryption techniques to ensure security/secrecy of the data. The submitted bid documents/data become readable only after tender opening by the authorized individual.

Thank You

Technical Support - Phone: 9355030617, 8448288980

Tel: 011-49606060

Email ID - enividahelpdesk@gmail.com, enivida2021@gmail.com



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-मिनिरत्न कम्पनी)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Undertaking- Miniratna Co.)

CIN: U74599DL1963G-OI003913

केन्द्रीय राज्य फार्म / Central State Farm

10 किमी0 सिरसा रोड, हिसार / 10 KM. Sirsa Road Hisar-125001

मुख्यालय: बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली-12 / BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX, NEW DELHI-12



No-CSF /6-77 /कृषि /2025-26/

Dated- 09.01.2026

Technical Bid Requirement

Particulars	Details
1.Copy of PAN No.	
2.Copy of GSTIN Registration	
3. Copy of labour licence	
3. Copy of Identity Card i.e. Aadhar Card/ Driving Licence /Voter ID Card	
4.Registered Firm letter Head Copy	
5. Affidavit regarding Non Black Listed of Firm by any Corporation and Government entity (Annexure-1)	
6-Minimum one year experience of Labour work (Similar nature of work) among last five years.	
7-Copy of EPF registration certificate	
8- Copy of ESI registration certificate	
9-Certificate of minimum turnover of one Crore of the firm duly signed by Chartered accountant of one year among last five years.	
10- Bank Details for payment.	
11- EMD and Tender fees deposit details.	
12- Signed copy of contract terms & conditions.	

**FORMAT OF UNDERTAKING, TO BE FURNISHED ON COMPANY LETTER HEAD WITH
REGARD TO BLACKLISTING/ NON- DEBARMENT, BY ORGANISATION**

UNDERTAKING REGARDING BLACKLISTING / NON – DEBARMENT

AFFIDAVIT

To,

The Head of Farm,

NSC, CSF, HISAR.

We hereby confirm and declare that we, M/s _____, is not blacklisted/
De-registered/ debarred by any Government department/ Public Sector Undertaking/ Private Sector/ or any
other agency and no court case is pending in any NSC Office for which we have Executed/ Undertaken the
works/ Services during the last 5 years.

For _____

Authorised Signatory

Date:



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-मिनिरास कम्पनी)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Undertaking- Minirama Co.)

CIN: U74599DL1963G-01003913

केन्द्रीय राज्य फार्म / Central State Farm

10 किमी0 सिरसा रोड, हिसार / 10 KM. Sirsa Road Hisar-125001

मुख्यालय: बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली-12 / BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX, NEW DELHI-12



No-CSF /6-77 /कृषि /2025-26/

Dated- 09.01.2026

बीज प्रसंस्करण और संबंधित कार्यों के लिए वित्तीय दरें

संख्या	कार्य विवरण	दर प्रति कुंटल
1	सेंट्रल कॉलोनी परिसर से ठसका परिसर के प्रसंस्करण संयंत्र/गोदाम तक और इसके विपरीत, बीजों और/या सामान की लोडिंग, परिवहन और अनलोडिंग।	
2	नगरपालिका सीमा के अंतर्गत आने वाले स्थान से सेंट्रल कॉलोनी परिसर में स्थित बीज प्रसंस्करण संयंत्र तक और इसके विपरीत 5.99 किलोमीटर तक बीजों और/या माल की लोडिंग, परिवहन और अनलोडिंग।	
3	नगरपालिका सीमा के अंतर्गत आने वाले स्थान से सेंट्रल कॉलोनी परिसर में स्थित बीज प्रसंस्करण संयंत्र तक और इसके विपरीत 6 से 10 किलोमीटर तक बीजों और/या माल की लोडिंग, परिवहन और अनलोडिंग।	
4	नगरपालिका सीमा के अंतर्गत आने वाले स्थान से सेंट्रल कॉलोनी परिसर में स्थित बीज प्रसंस्करण संयंत्र तक और इसके विपरीत 10.01 से 20 किलोमीटर तक बीजों और/या माल की लोडिंग, परिवहन और अनलोडिंग।	
5	खैरवा ब्लॉक से सेंट्रल परिसर और इसके विपरीत के बीज प्रसंस्करण संयंत्र/गोदाम तक बीजों और/या सामान की लोडिंग, परिवहन और अनलोडिंग का कार्य करना।	
6	खैरवा ब्लॉक से ठसका परिसर और इसके विपरीत के बीज प्रसंस्करण संयंत्र/गोदाम तक बीजों और/या सामान की लोडिंग, परिवहन और अनलोडिंग का कार्य करना।	
7	एक ही परिसर (यानी केंद्रीय परिसर) के अंतर्गत एक गोदाम/अनावरण केंद्र/प्रसंस्करण संयंत्र से दूसरे गोदाम/प्रसंस्करण संयंत्र/अनावरण केंद्र तक बीजों/सामानों की लोडिंग और अनलोडिंग सहित स्थानांतरण (एक ही गोदाम के भीतर 100 फीट से अधिक की दूरी पर लागू)।	
8	एक ही परिसर (यानी ठसका परिसर) के अंतर्गत एक गोदाम/अनावरण केंद्र/प्रसंस्करण संयंत्र से दूसरे गोदाम/प्रसंस्करण संयंत्र/अनावरण केंद्र तक	

	बीजों/सामानों की लोडिंग और अनलोडिंग सहित स्थानांतरण (एक ही गोदाम के भीतर 100 फीट से अधिक की दूरी पर लागू)।	
9	एक ही परिसर (यानी खैरवा ब्लॉक) के अंतर्गत एक गोदाम/अनावरण केंद्र से दूसरे गोदाम / अनावरण केंद्र तक अनलोडिंग सहित बीजों/सामानों का स्थानांतरण (एक ही गोदाम के भीतर 100 फीट से अधिक की दूरी पर लागू)।	
10	गेहूँ के बीजों का सीधा प्रसंस्करण और सीधा ही पैकिंग, अर्थात् ग्रेडिंग के लिए अप्रसंस्कृत बीजों को बीज संयंत्र में डालना, बीजों को 40 किलोग्राम के आकार में पैक करना टैग व लेबल लगाना, सील करना और मुहर लगाना (प्रसंस्कृत बीज की मात्रा पर दर लागू होती है)।	
11	सरसों, जेई, मटर, मसर, पालक, जौ, चना, गेहूँ इत्यादि बीजों का सीधा प्रसंस्करण और थोक पैकिंग, अर्थात् अप्रसंस्कृत बीजों को ग्रेडिंग के लिए बीज संयंत्र में डालना, बीजों की 50/35 किलोग्राम के आकार में थोक पैकिंग, सीलिंग और स्टैम्पिंग। (ग्रेड किए गए बीजों की मात्रा पर दर लागू)।	
12	वर्गीकृत बीजों को कोटिंग मशीन में कोटिंग/उपचार के लिए डालना और उचित निर्देशों के अनुसार बीजों का सही उपचार करना, आवश्यकतानुसार फैलाना और सुखाना।	
13	थोक में पैक किए गए बीजों 1 किलोग्राम के बैग या मिनीकिट बनाना (अप्रत्यक्ष पैकिंग), जिसमें बैगों की छपाई, बैगों में बीजों की भराई और वजन करना, बैगों पर टैग की छपाई और सिलाई करना, सील करना, आवश्यकतानुसार बोरियों में भरना और और एक जगह एकत्रित करना आदि शामिल हैं। इसके अलावा, 50 खाली बैगों का बंडल बनाना और पैकिंग स्थल की उचित सफाई करना भी शामिल है। (केंद्रीय परिसर)	
14	थोक में पैक किए गए बीजों 1 किलोग्राम के बैग या मिनीकिट बनाना (अप्रत्यक्ष पैकिंग), जिसमें बैगों की छपाई, बैगों में बीजों की भराई और वजन करना, बैगों पर टैग की छपाई और सिलाई करना, सील करना, आवश्यकतानुसार बोरियों में भरना और और एक जगह एकत्रित करना आदि शामिल हैं। इसके अलावा, 50 खाली बैगों का बंडल बनाना और पैकिंग स्थल की उचित सफाई करना भी शामिल है। (ठसका परिसर)	
15	थोक में पैक किए गए बीजों 2 किलोग्राम के बैग या मिनीकिट बनाना (अप्रत्यक्ष पैकिंग), जिसमें बैगों की छपाई, बैगों में बीजों की भराई और वजन करना, बैगों पर टैग की छपाई और सिलाई करना, सील करना, आवश्यकतानुसार बोरियों में भरना और और एक जगह एकत्रित करना आदि शामिल हैं। इसके अलावा, 50 खाली बैगों का बंडल बनाना और पैकिंग स्थल की उचित सफाई करना भी शामिल है। (केंद्रीय	

	परिसर)	
16	थोक में पैक किए गए बीजों 2 किलोग्राम के बैग या मिनीकिट बनाना (अप्रत्यक्ष पैकिंग), जिसमें बैगों की छपाई, बैगों में बीजों की भराई और वजन करना, बैगों पर टैग की छपाई और सिलाई करना, सील करना, आवश्यकतानुसार बोरियों में भरना और एक जगह एकत्रित करना आदि शामिल हैं। इसके अलावा, 50 खाली बैगों का बंडल बनाना और पैकिंग स्थल की उचित सफाई करना भी शामिल है। (ठसका परिसर)	
17	थोक में पैक किए गए बीजों से 2.01 से 3.99 किलोग्राम के बैग या मिनीकिट बनाना (अप्रत्यक्ष पैकिंग), जिसमें बैगों की छपाई, बैगों में बीजों की भराई और वजन करना, बैगों पर टैग की छपाई और सिलाई करना, सील करना, आवश्यकतानुसार बोरियों में भरना और एक जगह एकत्रित करना आदि शामिल हैं। साथ ही, 50 खाली बैगों का बंडल बनाना और पैकिंग स्थल की उचित सफाई करना भी शामिल है। (केंद्रीय परिसर)	
18	थोक में पैक किए गए बीजों से 2.01 से 3.99 किलोग्राम के बैग या मिनीकिट बनाना (अप्रत्यक्ष पैकिंग), जिसमें बैगों की छपाई, बैगों में बीजों की भराई और वजन करना, बैगों पर टैग की छपाई और सिलाई करना, सील करना, आवश्यकतानुसार बोरियों में भरना और एक जगह एकत्रित करना आदि शामिल हैं। साथ ही, 50 खाली बैगों का बंडल बनाना और पैकिंग स्थल की उचित सफाई करना भी शामिल है। (ठसका परिसर)	
19	थोक में पैक किए गए बीजों से 4 से 6 किलोग्राम के बोरे बनाना (अप्रत्यक्ष पैकिंग), जिसमें उपचार प्रक्रियाएँ शामिल हैं जैसे कि बोरो पर छपाई, बोरो में बीज भरना और उनका वजन करना, बोरो पर टैग छापना और सिलना, सील करना, आवश्यकतानुसार बोरियों में भरना और एक जगह एकत्रित करना आदि शामिल हैं। खाली बोरियों के 50 के बंडल बनाना और पैकिंग स्थल की उचित सफाई करना। (केंद्रीय परिसर)	
20	थोक में पैक किए गए बीजों से 4 से 6 किलोग्राम के बोरे बनाना (अप्रत्यक्ष पैकिंग), जिसमें उपचार प्रक्रियाएँ शामिल हैं जैसे कि बोरो पर छपाई, बोरो में बीज भरना और उनका वजन करना, बोरो पर टैग छापना और सिलना, सील करना, आवश्यकतानुसार बोरियों में भरना और एक जगह एकत्रित करना आदि शामिल हैं। खाली बोरियों के 50 के बंडल बनाना और पैकिंग स्थल की उचित सफाई करना। (ठसका परिसर)	
21	थोक में पैक किए गए बीजों से 6.01 से 7.99 किलोग्राम के बोरे बनाना (अप्रत्यक्ष पैकिंग), जिसमें उपचार प्रक्रियाएँ शामिल हैं जैसे कि बोरो पर छपाई, बोरो में बीजों की भराई और वजन करना, बोरो पर टैग की छपाई और सिलाई, सील करना, आवश्यकतानुसार बोरियों में भरना और एक जगह एकत्रित करना आदि।	

34	थोक में पैक किए गए बीजों से 2 किलोग्राम के पाउच बनाना (अप्रत्यक्ष पैकिंग), जिसमें उपचार प्रक्रियाएँ शामिल हैं जैसे कि बैगों की छपाई, बैगों में बीजों की भराई और तौल, बैगों पर टैग की छपाई और सिलाई, सीलिंग, आवश्यकतानुसार बोरियों/कार्टूनों में भरना और एक जगह एकत्रित करना आदि। खाली बैगों के 50 के बंडल बनाना और पैकिंग स्थल की उचित सफाई करना। (ठसका परिसर)	
35	बीजों व उर्वरकों को ट्रकों/ट्रॉलियों आदि में चड़ाना।	
36	पैकिंग मटेरियल/रसायनों/अन्य वस्तुओं को ट्रकों/ट्रॉलियों आदि से चड़ाना।	
37	बीजों व उर्वरकों को ट्रकों/ट्रॉलियों आदि में उतारना।	
38	पैकिंग मटेरियल/रसायनों/अन्य वस्तुओं को ट्रकों/ट्रॉलियों आदि से उतारना।	
39	बीजों को चट्टे से लॉट के अनुसार अलग करना और उन्हें उसी गोदाम में पुनः व्यवस्थित करना।	
40	खाली बोरियों/बरदाना की छँटाई करना और 50 बोरियों के बंडल बनाना तथा उन्हें सही ढंग से व्यवस्थित करना। (प्रति बंडल की दर)	
41	गोदामों में बीजों का समय-समय पर धूमन करना, अर्थात् धूमन की गोलियाँ रखना, बीजों को ढकना, आवरण पर मिट्टी डालना आदि। धूमन के बाद आवरण हटाकर मिट्टी की सफाई करना आदि। (प्रति क्विंटल दर)	
42	समय-समय पर फार्म के स्प्रेयर पंप द्वारा स्प्रे गन की सहायता से रसायनों का छिड़काव करना (प्रति 500 लीटर टैंक की दर)	
43	मशीन से छोटे आकार (undersize)/अबीज के अनाज की सफाई करना और बोरियों में भरना, वजन करना और सिलना।	
44	थोक में पैक किए गए बचे हुए स्टॉक का पुनः वर्गीकरण और उसे 16 से 40 किलोग्राम के पैक में पुनः पैक करना।	
45	सेंट्रल कॉलोनी/ठसका स्थित ओसौनी केंद्र में सफाई मशीन/पंखे द्वारा कच्चे उत्पादों की सफाई करना।	
46	खैरवा ब्लॉक के सूप विनिकरण केंद्र में सफाई मशीन/पंखे द्वारा कच्चे उत्पादों की सफाई करना।	
47	खैरवा ब्लॉक में 20-39.9 किलोग्राम के बोरो में अप्रसंस्कृत बीजों की भराई, लेबलिंग तथा ओसाई केंद्र की सफाई करना।	
48	खैरवा ब्लॉक में 40-50 किलोग्राम के बोरो में अप्रसंस्कृत बीजों की भराई, लेबलिंग तथा ओसाई केंद्र की सफाई करना।	

49	केंद्रीय कॉलोनी/ठसका में 20-39.9 किलोग्राम के बोरो में अप्रसंस्कृत बीजों की भराई, लेबलिंग तथा ओसाई केंद्र की सफाई करना।	
50	केंद्रीय कॉलोनी/ठसका में 40-50 किलोग्राम के बोरो में अप्रसंस्कृत बीजों की भराई, लेबलिंग तथा ओसाई केंद्र की सफाई करना।	
51	मशीन से बोरियों की सफाई ,50 बोरियों के बंडल बनाना , ग्रेड-ए (प्रति 50 बोरियों के बंडल की दर)।	
52	मशीन से बोरियों की सफाई ,50 बोरियों के बंडल बनाना , ग्रेड- बी (प्रति 50 बोरियों के बंडल की दर)।	
53	ग्रेड-ए की बोरियों की छँटाई और सफाई करना और 50-50 नग के बंडल बनाना (प्रति 50 नग के बंडल की दर)।	
54	ग्रेड-बी की बोरियों की छँटाई, सफाई और मरम्मत करना तथा 50-50 बोरियों के बंडल बनाना (प्रति 50 बोरियों का रेट)।	
55	ग्रेड-सी की बोरियों की छँटाई करना और 50-50 बोरियों के बंडल बनाना (प्रति 50 बोरियों के बंडल की दर)	
56	आवश्यकतानुसार ओसाई केंद्र/प्रसंस्करण संयंत्र में कच्चे/वर्गीकृत बीजों की हाथ से सफाई/हाथ से चयन करना।	
57	गोदाम में प्लास्टिक की क्रेट बिछाना , निकलना व् उनका चट्टा लगाना। (दर प्रति नग)	
58	बोरे के 50-50 के पुलिंदो को एक स्थान से दुसरे स्थान पर पहुचना (एक ही परिसर में)। (दर प्रति पुलिंदा)	
59	गोदाम के अंदर अतिरिक्त साफ़-सफाई करना (दर प्रति वर्ग मीटर)	
60	गोदाम के बाहर साफ़-सफाई का कार्य करना (दर प्रति वर्ग मीटर)	
61	प्रजनक व् आधार बीज को केंद्रीय राज्य फार्म से बाहर भेजने से पहले उसको लॉट व् टैग वार, गंतव्य अनुसार अलग अलग कर सूचना गोदाम प्रभारी को प्रदान करना। जिससे ससमय बीजो को साथी पोर्टल पर स्थानांतरित किया जा सके।	

Note:

- (i) **Contractor has to do sewing or bag closing (by using bag closing machine) by his men.**
- (ii) **The packing material, medicine or other goods should be loaded by the contractor from the Central Colony and brought to the plant.**

- (iii) The contractor will have to take full care of the maintenance and charging of electric weighing machine and bag closing machine.
- (iv) At the time of changing the seed variety, the cleaning of the plant will be done by the labour of the contractor, for which no separate charge will be given.
- (v) The waste which will come out during cleaning of the produce at the Winnowing Center will be the responsibility/right of the contractor to lift by his own men.
- (vi) Pouch packing means packing in polythene bags.

Name and Address _____

Phone No. _____

Bank Account No. _____

PAN No. _____

IFSC Code No _____

विधायन संयंत्र नंबर-306,309, 61,08 व 473 एवं विपणन, कृषि विभाग में पल्लेदारी कार्य व खलिहानों पर उत्पाद सफाई के कार्य के लिए नियम एवं शर्तें

1. प्रत्येक निविदादाता को निविदा देने से पूर्व रु 3,00,000 धरोहर राशि के रूप में नीचे दिए गए कार्यों के लिए ऑनलाइन जमा करवाना होगा तभी उसकी निविदा मान्य होगी। सफल निविदादाता को कार्य आदेश प्राप्त होने के 7 दिन के अंदर-अंदर रु 2,00,000 बतौर प्रतिभूति राशि (राशि 3,00,000/- के अतिरिक्त) ऑनलाइन जमा करावानी होगी जो कार्य संतोषजनक पूरा होने पर धरोहर राशि के साथ (3,00,000 + 2,00,000) बिना ब्याज के वापस लौटा दी जाएगी। असफल बोली दाता की धरोहर राशि उसके बैंक खाते में bidding portal द्वारा वापिस की जाएगी।
2. श्रमिक ठेकेदार के पास अपना श्रमिक लाइसेंस ,ई.पी.एफ ,ई.एस.आई ,पैन कार्ड ,जीएसटी नंबर का होना आवश्यक है जिसका पूर्ण विवरण सलंगन करना होगा श्रमिक लाइसेंस न होने की परि -स्थिति में ठेकेदार के पास उसका Establishment प्रमाण पत्र निविदा में भाग लेने के लिए मान्य होगा परंतु ऐसे ठेकेदार को कार्य आबंटित होता है तो तब कार्य आदेश जारी करने के 2 माह के अंदर उसे श्रमिक लाइसेंस जमा कराना होगा। अन्यथा ठेका रद्द कर दिया जाएगा वह दिए गए कार्य का भुगतान नहीं होगा और धरोहर राशि सहित शेष राशि जब्त कर ली जाएगी।
3. यह कार्य ठेका दो वित्तीय वर्षों(1st अप्रैल 2026 से 31st मार्च 2028) के लिए होगा। यदि ठेकेदार का कार्य संतोषजनक पाया जाता है तो आपसी लिखित सहमति से कार्य ठेके की अवधि को एक वर्ष के लिए विस्तृत किया जा सकता है। साथ ही ठेकेदार को तब तक कार्य जारी रखना होगा जब तक नया कार्य ठेका आबंटित नहीं हो जाता।

4. ठेकेदार के पास विगत पांच वर्षों में से कम-से-कम किसी एक वर्ष में रुपये 1 करोड़ का का र्टनओवर होना चाहिये।
5. ठेकेदार को कार्य प्रभारी के निर्देशानुसार कार्य के लिए पर्याप्त श्रमिक उपलब्ध करने होंगे। कार्य के लिए प्राप्त श्रमिकों की पूर्ति करने में असफल होने की दिशा में निगम का यह अधिकार सुरक्षित है कि वह प्रचलित दरों पर श्रमिकों से कार्य करवाएं एवं इस बाबत अतिरिक्त खर्च को ठेकेदार के बिलों/जमानत राशि से काट लिया जायेगा। संतोषजनक कार्य ना होने पर या समय पर लेबर उपलब्ध न कराने पर जिससे निगम के काम में बाधा आए ठेकेदार को 07दिन का नोटिस देकर ठेका निरस्त किया जा सकता है इसके साथ-साथ धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि जब्त की जा सकती है और ठेकेदार को कालीसूची में भी डाला जा सकता है।
6. ठेकेदार को भुगतान बीज की प्रसंस्कृत)Graded Seed(मात्रा पर ही किया जाएगा न की अप्रकियंत्रित)Raw Seed) मात्रा पर।
7. ठेकेदार को कार्य आदेश प्राप्त होने के बाद रुपये 100 का नान ज्यूडिशल स्टैंप पेपर लेकर कार्यों हेतु दिये गये नियम व शर्तों पर समझौता करवाना होगा। यह समझौता ठेकेदार व केंद्रीय राज्य फार्म ,हिसार प्रबंधन के बीच होगा।
8. ठेकेदार या उसके आदमियों द्वारा फार्म की खड़ी फसल व अन्य संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या चोरी आदि की स्थिति में ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा नुकसान होने की स्थिति में नुकसान की भरपाई ठेकेदार के बिल से की जाएगी।
9. क्रिस्म बदलने के समय प्लांट की सफाई ठेकेदारों के आदमी द्वारा करना होगा प्लांट की सफाई के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।
10. विधायन के समय यदि ठेकेदार की लापरवाही के कारण बीज की गुणवत्ता ठीक नहीं आती है तो साथ ही साथ बीज को दोबारा री -ग्राइंडिंग करना होगा जिसका अलग से कोई पैसा देय नहीं होगा।
11. ठेकेदार को स्वयं या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को प्लांट पर उपस्थित रहना होगा ताकि उसे किसी प्रकार की समस्या के बारे में अवगत कराया जा सके।
12. किसी भी कार्य के लिए लेबर एक्ट में निर्धारित आयु से कम आयु के श्रमिकों को नहीं लगाना होगा तथा ठेकेदार को लगाई गई लेबर का पूर्ण विवरण नाम, पता, आयु अपने हाजिरी रजिस्टर में रखना होगा जिसे जरूरत पड़ने पर श्रमिक निरीक्षक को प्रस्तुत किया जा सके।
13. विधुतीय काटे व बैग क्लोजर का प्रभार लेते वह प्रभार देते समय ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि उपरोक्त सामान सही व चालू हालत में है व उनकी मरम्मत व रखरखाव एवं समय पर चार्ज करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी ताकि तुलाई कि समय पर कोई परेशानी ना हो व विधुतीय काटे व बैग क्लोजर की मरम्मत के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।
14. ठेकेदार को सभी अभिलेख रखने होंगे जो की फैक्ट्री एक्ट 1948मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक है इस प्रकार के अभिलेख न रखने पर यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो इसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
15. कार्यनुसार स्वतः ठेकेदार को विपणन विभाग एवं विभिन्न खंडों के लिए पल्लेदारी की संख्या रखनी होगी पल्लेदारी का कार्य जहां भी जिस समय होगा वही कार्य करना होगा व ठेकेदार का प्रतिनिधि या ठेकेदार स्वयं कार्य स्थल पर उपस्थित रहेगा तथा मजदूरों को लाने ले जाने की व्यवस्था करेगा।
16. पल्लेदारी के राशन आदि की व्यवस्था स्वयं ठेकेदार को करनी होगी इसके लिए फार्म कोई व्यवस्था नहीं करेगा फार्म केवल जितना भी संभव होगा आवास व्यवस्था में सहयोग करेगा।
17. यदि ठेकेदार के कारण फार्म के कार्य में देरी अथवा किसी प्रकार की हानि फार्म को होती है तो उसकी जिम्मेदारी से ठेकेदार की होगी वह उस हानि की वसूली उसके बिल से कर ली जाएगी न किया हुआ कार्य या लापरवाही से हानि होने की स्थिति में नुकसान का जायजा निर्देशक द्वारा गठित समिति द्वारा किया जाएगा समिति के समक्ष उपस्थित रहने एवं अपना पक्ष रखने के लिए ठेकेदार को सूचना दी जाएगी नुकसान की वसूली ठेकेदार के बिल से की जाएगी।
18. यदि चट्टा ठीक दशा में नहीं लगाया होगा तो वह पुनः तोड़कर ठीक प्रकार से लगाना होगा बोरियों का वजन कम या अधिक पाया गया तो समस्त बोरियो का वजन दोबारा करना होगा जिसका फार्म भुगतान नहीं करेगा सभी चट्टे की ऊंचाई

आवश्यकतानुसार करनी होगी जो चट्टा बाहर लगेगा तो उसको पल्लेदार से ढकवाना होगा जिसका कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।

19. चट्टा के नीचे कैरेट आदि लगाने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी और चट्टा उठाने पर कैरेट को गोदाम से बाहर सही ढंग से रखने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी यह कार्य न करने की स्थिति में यह कार्य किसी अन्य से करवाया जाएगा और उसका भुगतान की कटौती ठेकेदार के बिल से कर ली जाएगी।
20. जिस निविदादाता के अधिकतम कार्यों में दरें न्यूनतम पायी जाती हैं उसे इस निविदा के समस्त कार्यों के लिये 1-L पार्टी माना जायेगा जिससे सारे कार्य की जिम्मेदारी एक ही पार्टी/ ठेकेदार की हो और कार्य को फार्म सहज रूप से क्रियान्वित कराया जा सके।
21. ठेकेदार के बिलों में से आयकर की वसूली आयकर अधिनियम के अनुसार की जाएगी। इसके अतिरिक्त अगर अन्य कर सरकार की तरफ से लगाया जाता है तो वह ठेकेदार के बिलों में से काटा जाएगा या ठेकेदार द्वारा स्वयं जमा कराने की जिम्मेदारी होगी।
22. ठेकेदार द्वारा लगाए गए मजदूरों की वेतन के भुगतान की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी तथा फार्म इसके लिए उत्तरदाई नहीं होगा और ठेकेदार को प्रत्येक बिल पर प्रमाणित करना होगा कि उसके द्वारा लगाए गए मजदूरों का भुगतान कर दिया गया है अब कोई देय नहीं है यदि इस हेतु भुगतान संबंधित शिकायत आती है तो उसके लिए ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।
23. कोई भी फार्म पर कार्यरत कर्मचारी या उसका निकट संबंधी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ठेके में भागीदारी नहीं होगी।
24. विधायन सत्र पर बीज की पैकिंग के बाद खाली बोरियों को 50-50 बोरियों के बंडल बना कर रखना होगा।
25. ठेकेदार को जो भी पैकिंग समान दिया जाएगा (बोरी, लेड-सील, बैग, लेबल, दवाई, थैली, धागा इत्यादि) उसके रखरखाव की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
26. ठेकेदार को बीज विधायन के समय विधायित बीज की बोरियों पर बीज की किस्म, कैटगरी, लाट नंबर मात्रा किलो आदि की जानकारी साफ-साफ और लिखकर चट्टा लगाना होगा यदि बिना लिखे चट्टा लगाता है तो चट्टा तोड़ कर पूरी जानकारी लिख कर लगाना होगा जिसका अलग से भुगतान नहीं किया जाएगा।
27. निविदादाता के पास गत पांच वर्षों में से कम-से-कम एक वर्ष का समान कार्य को करने का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए।
28. निगम के अधिकारी/ प्रभारी के निर्देशानुसार ठेकेदार को पर्याप्त संख्या में बीज/समान परिवहन के लिए वाहनों व श्रमिकों की पूर्ति करनी होगी। ऐसा न करने पर व असफल होने पर आवश्यकता अनुसार निगम वाहनों व श्रमिकों की व्यवस्था करेगा एवं इस कार्य में हुये खर्च की वसूली ठेकेदार से की जाएगी।
29. ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि गोदाम से बीज उठाते समय कटा फटा बोरा न उठाया जाए और ना ही वाहनों में लोड किया जाए।
30. फार्म प्रमुख केंद्रीय राज्य फार्म हिसार को अधिकार होगा कि बिना कारण बताए किसी भी निविदा की सारी बोली को अस्वीकार कर सकता है तथा निगम विरुद्ध होने पर नोटिस जारी कर किसी भी समय ठेका रद्द किया जा सकता है।
31. अनुबंध काम के दौरान यदि कोई दुर्घटना या अनहोनी होती है तो ठेकेदार के मशीन या श्रमिकों को कोई क्षति पहुंचती है तो इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा और निगम का इस संबंध में कोई दायित्व नहीं होगा।
32. ठेकेदार को कार्य आदेश प्राप्त होने के 1 महीने के अंदर केंद्र सरकार के श्रम विभाग द्वारा श्रम सुविधा अधिनियम 1970 के अनुसार फार्म पर ठेके का कार्य करने हेतु जरी ठेकेदार लाइसेंस प्राप्त कर कार्यालय में जमा कराना होगा। ठेकेदार द्वारा ठेकेदार लाइसेंस की अनुपालन तय समय सीमा में न करने की स्थिति में ठेकेदार का मासिक भुगतान फार्म द्वारा रोक दिया जाएगा।
33. ठेकेदार को ठेके कार्य के लिए बिल फार्म कार्यालय में वेतन भुगतान सूची इ.पी.एफ, ई,एस,आई, वस्तु एवं सेवा कर (यदि लागू हो तो) के समस्त दस्तावेज सहित जमा कराना होगा। फार्म द्वारा ठेकेदार को ठेके की राशि का भुगतान मासिक आधार पर नियमानुसार टैक्स काटने के पश्चात किया जाएगा। इसके साथ-साथ ठेकेदार को प्रत्येक माह के बिल के साथ अपने पत्र

पैड पर प्रमाण पत्र देना होगा कि उसने फार्म पर लगाए गए सभी श्रमिकों के वेतन का भुगतान श्रम कानून के अनुसार किया है। वह उसके द्वारा सभी कामगारों का इ.पी.एफ ई.एस.आई जमा करा दिया गया है। इसके साथ साथ ठेकेदार को विधिवत वस्तु एवं सेवा कर जमा कराना होगा। ठेकेदार को अपने द्वारा लगाए गए कर्मियों के मामले में समस्त लागू श्रम कानूनों का पालन करना होगा। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जो भी वैधानिक प्रावधान लागू होंगे जैसे इ.पी.एफ. ई.एस.आई, न्यूनतम मजदूरी, वस्तु एवं सेवा कर नियमों के पालन की जिम्मेदारी स्वयं से ठेकेदार की होगी इस बाबत अलग से फार्म द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

34. ठेकेदार द्वारा ठेके का कार्य बीच में छोड़ने तथा उपरोक्त नियम व शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में ठेका फार्म प्रबंधन द्वारा 30 दिन का नोटिस देकर निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी। इसके साथ-साथ ठेकेदार को आगामी 3 साल के लिए केंद्रीय राज्य फार्म हिसार के किसी भी ठेके में भाग लेने की लेने पर प्रतिबंधित किया जाएगा।

Arbitration/विवाचन :-

यदि किसी शर्त या मामले के कारण NSC Ltd और दूसरे पक्ष के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से इसे हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो समय-समय पर संशोधित और सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधानों के तहत इस मुद्दे को हल करना पार्टियों के लिए बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के तहत, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, दोनों की सहमति से, पक्ष मुद्दे को हल करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। मध्यस्थता नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी और अंग्रेजी भाषा में होगी। दिल्ली के न्यायालय का अधिकार क्षेत्र होगा।

In case any dispute arise between NSE and the other party due to any term or matter both the parties will option to resolve it through mutual understanding and discussion. In case, dispute remains even after discussion then it shall be binding upon the parties to resolve issue under the provisions of Arbitration & Conciliation Act, 1996 as amended from time to time. Under this provision, the Chairman cum Managing Director, National Seed Corporation limited with the concurrence of both parties will have to abide by the decision. The parties will bind to resolve this dispute through arbitration before going to court of law. The Arbitration shall be conducted at New Delhi and shall be in English language. The court of Delhi shall have the jurisdiction.